Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान

प्रभा घुरे*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वृद्धजनों की समस्याएँ सिर्फ समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि यह अतिसंवेदनशील समस्या का विषय है। यह विषय वर्तमान युग में प्रत्येक परिवार में विमर्श का अहम विषय है। यह शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर उन वृद्धजनों का विषय है, जिन पर सरकारी निगाहें तो गईं, परन्तु अपनों ने ही उनकी उपेक्षा एवं तिरष्कार किया। प्रस्तुत शोध पत्र की मुख्य विषयवस्तु वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान है। इन कानूनी प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही वृद्धजनों को उनके अधिकार एवं सम्मान मिल सकेगा।

प्रस्तावना – भारत एक सांस्कृतिक व परम्पराओं को मानने वाले देश के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य भी है, जिसमें सभी वर्गों के समुचित कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को सम्मान एवं आदर का दर्जा दिया जाता रहा है तथा परिवार में वट वृक्ष की भांति उनकी स्थिति रही है, किन्तु भूमण्डलीकरण तथा आधुनिकता की चकाचौंध ने वृद्धजनों की वर्षों पुरानी सम्माननीय, पूज्यनीय स्थिति को ठेस पहुँचाई है।

अवधारणा एवं परिभाषा – जेरेन्टोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'जेरान' तथा 'लोगोस' से हुआ है। 'जेरान' का अर्थ वृद्ध व्यक्ति तथा 'लोगोस' का अर्थ अध्ययन करना है। अत: वृद्ध व्यक्तियों का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक क्षेत्रों में अध्ययन ही जेरेन्टोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट नील बटलर (1969) ने सर्वप्रथम एजिंग शब्द दिया। वर्तमान में समाजशास्त्र में 'वृद्धावस्था का समाजशास्त्र' (सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग) नामक एक नई शाखा की शुरूआत हुई है।

वृद्धावस्था की निश्चित परिभाषा देना कठिन कार्य है। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषा दी है।

ए.के. कपूर के अनुसार– 'वृद्धावस्था शारीरिक विकलांगता, मानसिक क्षमता में कमी के साथ-साथ क्रमश: सामाजिक गतिविधियों में भूमिका निर्वाह हेतु अवरोध उत्पन्न कर आर्थिक निर्भरता की ओर अग्रेषित होना है।'

डी. पाल चौधरी के अनुसार – 'वृद्धावस्था प्राय: थकान, कार्यशीलता में कमी, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के ह्रास से सम्बन्धित है।'

प्रो. सुधा एस. सिलावट के अनुसार – 'वृद्धावस्था को उम्र, शारीरिक स्थिति तथा मानसिक दशाएं निर्धारित करते हैं।'

लुईस डबलिन के अनुसार – 'वृद्धावस्था वे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन है, जो जीवन के मुख्य भाग के व्यतीत हो जाने के बाद घटित होते हैं।'

साहित्य समीक्षा :

डॉ. सुनीलकांत भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक 'भारत की सामाजिक समस्याएँ : मुद्दे और परिप्रेक्ष्य में वयोवृद्धों की समस्याएँ' बताते हुए इससे निपटने के लिए एक सुस्पष्ट राष्ट्रीय नीति एवं जनचेतना की आवश्यकता बताई।

गंगाधर कराले ने अपनी पुस्तक 'सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग' में वृद्धावस्था के सामाजिक, आर्थिक मुद्दे तथा डायमेशन ऑफ एजिंग के अन्तर्गत जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक डायमेन्शन के बारे में चर्चा की।

विमलालाल ने अपनी पुस्तक 'वृद्धावस्था का सच' में बताया कि वृद्धावस्था में व्यक्ति परिवार से लेकर आश्रमतक अनेक समस्याओं से जूझता है।

एम.जी.हुसैन ने अपनी पुस्तक 'चेन्जिंग इण्डियन सोसायटी एण्ड स्टेटस ऑफ ऐज्ड' में वृद्धावस्था को समझाते हुए बताया कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को शारीरिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक विषमात का सामना भी करना पड़ता है।

अत: हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था मानव जीवन के विकास का एक क्रम है, जिसमें व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान में कमी तथा आर्थिक असुरक्षा से गुजरना पड़ता है, परिणामत: उसे अकेलेनेपन का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 01 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस घोषित किया है तथा वर्ष 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष एवं 2021-2023 को स्वस्थ आयु वृद्धि-दशक घोषित किया है।

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धजन निर्धनतम वर्ग में शामिल हैं, जिनमें से लगभग 18.7 प्रतिशत के पास आय का कोई साधन नहीं है।

आँकड़ों का संकलन – द्वितीय स्त्रोत के माध्यम से आँकड़े संग्रहित किए गए हैं।

वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्या – उपेक्षा, प्रताड़ना, रोगग्रस्त दुर्बलता, हिंसा का शिकार, आत्मसम्मान का न होना, वैचारिक मतभेद, एकाकीपन, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, अनुभव की अवहेलना, अलगाव आदि।

अत: वृद्धजनों की प्रमुख समस्याओं में पारिवारिक समस्याएँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, आर्थिक समस्याएँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएँ, सामंजस्य की समस्याएँ तथा मनोवैज्ञानिक समस्याएँ प्रमुख हैं।

वृद्धजनों की क्षेत्र, लिंग, सेवानिवृत्ति, निराश्रित इत्यादि कई आधार पर अलग-अलग समस्याएँ हो सकती हैं।

कानूनी प्रावधान – अनुच्छेद 41 और 46 वृद्धजनों के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रदान करते हैं। हिन्दू विवाह एवं दत्ताक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 20 में वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण को बाध्यकारी प्रावधान बनाया गया है। दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत वृद्ध माता-पिता भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का उद्देश्य रखता है।

प्रमुख वृद्ध देखभाल योजनाएँ :

1. अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, अटल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना।

उद्देश्य – समाज के वृद्धजनों के खोये हुए आत्मसम्मान को वापिस दिलाना तथा आधुनिकता वादी युवा पीढ़ी को वृद्धजनों के अनुभवों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देने का कार्य करेगा।

प्रासंगिकता – शोध का विषय जितना आज महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में भी उतना ही महत्वूर्ण रहेगा।

चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वृद्धावस्था मानव विकास के क्रम की एक अवस्था है, जब तक मानव समाज धरती पर है, सभी को इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। भूमण्डलीकरण और नगरीकरण के परिणामस्वयप वृद्धजनों की समस्याओं में तीव्र वृद्धि हुई है। वृद्धों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए उनकी समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2050 को रेड अलर्ट वर्ष बताया है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक विश्व का हर 5वाँ व्यक्ति वृद्ध होगा।

उपयोगिता – किसी भी परिवार, समाज की उन्नति एवं विकास में मार्गदर्शन, अनुभव आवश्यक होता है। जितना ज्ञान समाज के वृद्धजनों को होता है, उतना किसी अन्य को नहीं। भारतीय परम्परागत समाज में वानप्रस्थी (50 से 75 वर्ष) ही गुरू की भूमिका निभाते थे। बदलते परिवेश में वृद्धजनों की परिवार में सक्रिय भूमिका का होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। बच्चों एवं युवा पीढ़ी को अनुशासित करने, शिक्षित करने, संस्कारवान बनाने तथा सभ्य नागरिक के निर्माण में वृद्धजनों की अहम भूमिका होती है। वृद्धजनों के ज्ञान के आधार पर ही भारत विश्वगुरू बना।

संस्कार और नवाचार कासमायोजन वृद्धजनों के अनुभव से ही संभव है।

सुझाव – वृद्धजनों की विभिन्न समस्याओं को निम्न सुझाव के आधार पर कम करने के प्रयास किये जा सकते हैं :-

जनचेतना, विधिक सहायता उपलब्ध कराना, वृद्धावस्था के लिए बचत, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, वृद्धाश्रम की स्थापना तथा रखरखाव, वृद्धजनों के लिए कम श्रम वाले कार्य की व्यवस्था शासन द्वारा की जाये, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सेवा, वृद्धजनों की सेवा करने वालों को सम्मानित किया जाये, उपेक्षा करने वालों पर कार्यवाही, वृद्धावस्था पेंशन, हैल्प सेन्टर एण्ड काउंसलिंग, वरिष्ठ नागरिक समूहों का गठन, स्वचलितचिकित्सा इकाईयों के माध्यम से सहायता, विशेष निगरानी केन्द्रों की स्थापना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष वृद्धजन एवं गंभीर रोग के ग्रसित वृद्धजन को शामिल किया जाये।

निष्कर्ष – प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में संघर्षो, कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह उसका सामना कैसे करता है, परन्तु वृद्धजनों की समस्याएँ एक अतिसंवेदनशील समस्या है। इस समस्या को समाधान हेतु व्यक्ति विशेष के साथ-साथ परिवार, समाज, शासन, स्वयंसेवी संघ इत्यादि को सामने आकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भट्टाचार्य, सुनीलकांत (2008) : भारत की सामाजिक समस्याएँ, मुद्दे और परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन।
2. Karalay, Gangadhar (2022) : Sociology of Aging, New Delhi , Sage Publication, India Pvt. Ltd.
3. Kapoor, A.K. (2004) : India's Elderly, Mital Publication, New Delhi.
4. Lucis, Dablin (1951) : The Facts of Life, The Maemillan Company, New York.
5. Chowdhary, D.P. (1992) : Aged in India, Inter India Publications, New Delhi.
6. सिलावट, सुधा एस. (1955) : वृद्धावस्था की समस्याएं, सामाजिक सहयोग त्रैमासिक शोध पत्रिका, श्री कृष्ण शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
7. Hussain M.G. (Ed). (1997) : Changing Indian Society at status of agreed, Manak Publication Pvt. Ltd., NewDelhi.
8. लाल विमला (2010) वृद्धावस्था का सच, प्रकाशक कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
9. Prabhu P.H. (1995) :Hindu Social Organization, Reprinted Polular Prakashan Pvt. Ltd.
10. www.drishtiias.com/hindi (Current Affairs, January Part-II 2020-25
11. https://www.unorg/en/over serance/older/person/day
12. हिन्दी विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956
13. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007
14. इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

****